

ग्रामीण समाज के बदलते आयाम एवं पंचायतीराज की भूमिका

(रीवा जनपद के विशेष संदर्भ में)

शोधार्थी	शोध-निर्देशक
----------	--------------

अयोध्या सिंह

एम.फिल. समाजशास्त्र

डॉ. महेश शुक्ला

से.नि. प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत की जनगणना, पंचायतीराज मंत्रालय एवं अन्य प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर रीवा जनपद के ग्रामीण समाज के बदलते आयामों तथा उनमें पंचायतीराज की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। जनगणना 2001 एवं 2011 के तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि रीवा जनपद की जनसंख्या में 19.86 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई, साक्षरता दर 62.01 प्रतिशत से बढ़कर 71.62 प्रतिशत हो गई तथा महिला साक्षरता में 13.58 प्रतिशत बिन्दु की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण साक्षरता का लैंगिक अंतर 28.07 से घटकर 20.27 प्रतिशत बिन्दु रह गया।

इसके विपरीत लिंगानुपात 941 से घटकर 931 तथा शिशु लिंगानुपात 926 से घटकर 885 हो गया, जो ग्रामीण समाज में पुत्र वरीयता की निरंतरता का चिंताजनक संकेत है।

वर्ष 2011 में जनपद की 83.27 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण थी तथा ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता के मध्य 12.49 प्रतिशत बिन्दु का अंतर विद्यमान था। पंचायतीराज के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की पंचायतों में 51.61 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं, जो महिलाओं के पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है। शोध पत्र यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि पंचायतीराज ने ग्रामीण समाज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं विकास की पहुँच का विस्तार किया है, किन्तु लैंगिक असमानता, ग्रामीण-नगरीय अंतर एवं शिशु लिंगानुपात में गिरावट जैसी चुनौतियों के समाधान हेतु पंचायतों की सामाजिक भूमिका को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण समाज, सामाजिक परिवर्तन, पंचायतीराज, ग्राम पंचायत, साक्षरता, लिंगानुपात, महिला प्रतिनिधित्व, रीवा जनपद।

प्रस्तावना

भारतीय समाज मूलतः ग्रामीण समाज है। स्वतंत्रता के पश्चात् नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के बावजूद वर्ष 2011 में भी देश की लगभग 68.8 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी (भारत सरकार, 2013)। परंपरागत रूप से भारतीय ग्राम को कृषि आधारित, जाति प्रधान, संयुक्त परिवार पर आधारित तथा परंपराओं से नियंत्रित एक अपेक्षाकृत स्थिर इकाई माना जाता रहा है (देसाई, 1969; दुबे, 1955)।

किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार, सामुदायिक विकास, हरित क्रांति, शिक्षा के प्रसार, संवैधानिक समानता, आरक्षण तथा संचार एवं परिवहन के विस्तार ने ग्रामीण समाज के लगभग सभी आयामों को परिवर्तित किया है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से (श्रीनिवास, 1966) तथा योगेन्द्र सिंह ने परंपरा के आधुनिकीकरण के माध्यम से (सिंह, 1973) इन परिवर्तनों की व्याख्या की है। समकालीन विद्वानों ने ग्रामीण भारत में कृषि की घटती केन्द्रीयता एवं गैर-कृषि व्यवसायों की ओर झुकाव को रेखांकित किया है (गुप्ता, 2005)।

ग्रामीण समाज में परिवर्तन की इस प्रक्रिया में पंचायतीराज की विशेष भूमिका रही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर त्रिस्तरीय व्यवस्था, नियमित निर्वाचन, ग्राम सभा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया (भारत सरकार, 1993)। मध्यप्रदेश ने वर्ष 1994 में नवीन व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराए, वर्ष 2001 में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की (बेहार एवं कुमार, 2002) तथा पंचायतों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। रीवा जनपद विन्ध्य क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है, जहाँ बघेलखण्ड की सामंती विरासत, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था तथा जातिगत विविधता के बीच ग्रामीण समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर इस परिवर्तन के स्वरूप तथा उसमें पंचायतीराज की भूमिका को समझने का प्रयास है।

शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं। प्रथम, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या के बदलते अनुपात के संदर्भ में ग्रामीण समाज के परिवर्तन की प्रवृत्ति को समझना। द्वितीय, जनगणना 2001 एवं 2011 के आँकड़ों के आधार पर रीवा जनपद के जनांकिकीय, शैक्षणिक एवं लैंगिक आयामों में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना। तृतीय, रीवा जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय समाज के मध्य विद्यमान अंतर का अध्ययन करना। चतुर्थ, वर्ष 2023 के पुनर्गठन के पश्चात् वर्तमान रीवा जिले की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को स्पष्ट करना। पंचम, पंचायतीराज के माध्यम से ग्रामीण समाज में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व तथा ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका का विश्लेषण करना। षष्ठम, निष्कर्षों के आधार पर पंचायतों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पत्र का महत्व

द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित यह शोध पत्र ग्रामीण समाज के परिवर्तन को वस्तुनिष्ठ एवं सत्यापन योग्य संकेतकों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। साक्षरता, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात एवं ग्रामीण-नगरीय वितरण जैसे संकेतक ग्रामीण समाज के शैक्षणिक, लैंगिक एवं सामाजिक आयामों में हुए परिवर्तनों के प्रामाणिक मापक हैं। इन संकेतकों को पंचायतीराज की भूमिका से जोड़कर यह शोध पत्र यह स्पष्ट करता है कि किन क्षेत्रों में पंचायतों के हस्तक्षेप की सर्वाधिक आवश्यकता है। वर्ष 2023 में मऊगंज जिले के गठन के पश्चात् वर्तमान रीवा जिले के संदर्भ में आँकड़ों का पुनर्विश्लेषण इसे क्षेत्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। इसके निष्कर्ष पंचायत प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं एवं भावी शोधार्थियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप पर आधारित है तथा इसमें पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के प्रमुख स्रोत भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के प्राथमिक जनगणना सार तथा जिला जनगणना पुस्तिका रीवा, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत निर्वाचित

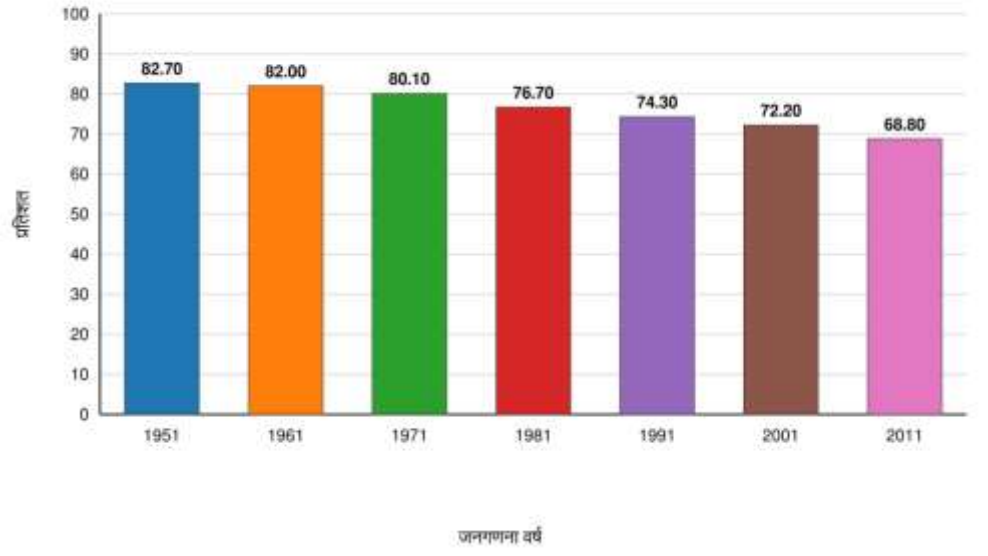
प्रतिनिधियों संबंधी आँकड़े, मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम एवं प्रतिवेदन तथा विषय से संबंधित प्रकाशित पुस्तकें एवं शोध लेख हैं। जनगणना 2011 के आँकड़े तत्कालीन अविभाजित रीवा जिले से संबंधित हैं। वर्तमान रीवा जिले के विश्लेषण हेतु वर्ष 2011 की तहसीलवार जनसंख्या में से नवगठित मऊगंज जिले में सम्मिलित हनुमना, मऊगंज एवं नईगढ़ी तहसीलों की जनसंख्या को पृथक किया गया है। आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, परिवर्तन दर एवं तुलनात्मक विधि द्वारा किया गया है तथा प्रमुख प्रवृत्तियों को सारणियों एवं आरेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी क्रमांक 1 : भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत (1951-2011)

क्र.	जनगणना वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
1	1951	82.7
2	1961	82.0
3	1971	80.1
4	1981	76.7
5	1991	74.3
6	2001	72.2
7	2011	68.8

स्रोत : भारत की जनगणना, विभिन्न वर्ष।

आरेख 1 : भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत (1951-2011)



सारणी 1 एवं आरेख 1 से स्पष्ट है कि वर्ष 1951 में देश की 82.7 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण थी, जो वर्ष 2011 तक घटकर 68.8 प्रतिशत रह गई। छः दशकों में ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में लगभग 14 प्रतिशत बिन्दु की कमी नगरीकरण की निरंतर प्रक्रिया को दर्शाती है। विशेष रूप से 2001 से 2011 के दशक में यह गिरावट 3.4 प्रतिशत बिन्दु रही, जो 1971-81 के दशक के समान अब तक की सर्वाधिक दशकीय गिरावट है। इसके बावजूद देश की दो-तिहाई से अधिक जनसंख्या आज भी ग्रामीण है। यह तथ्य दर्शाता है कि ग्रामीण समाज का महत्व कम नहीं हुआ है, किन्तु नगरों से बढ़ते संपर्क, प्रवास एवं नगरीय जीवन-शैली के प्रसार के कारण ग्रामीण समाज का स्वरूप तेजी से परिवर्तित हो रहा है।

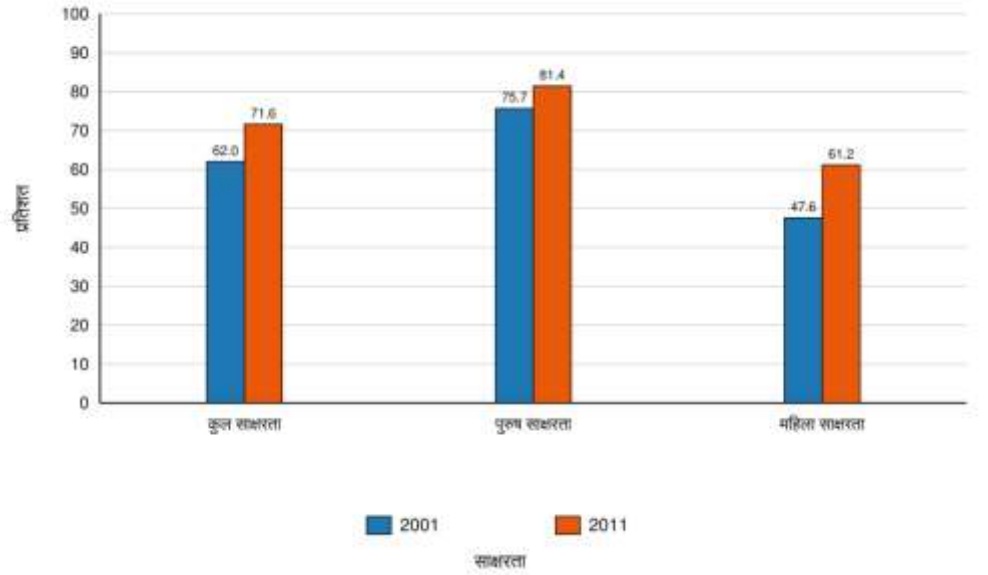
रीवा जनपद के ग्रामीण समाज के जनांकिकीय एवं शैक्षणिक आयाम

सारणी क्रमांक 2 : रीवा जनपद के प्रमुख सामाजिक-जनांकिकीय संकेतक (2001 एवं 2011)

क्र.	संकेतक	2001	2011	परिवर्तन
1	कुल जनसंख्या	19,73,306	23,65,106	+19.86 प्रतिशत
2	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	313	375	+62
3	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुष)	941	931	-10
4	शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	926	885	-41
5	कुल साक्षरता दर (प्रतिशत)	62.01	71.62	+9.61
6	पुरुष साक्षरता दर (प्रतिशत)	75.65	81.43	+5.78
7	महिला साक्षरता दर (प्रतिशत)	47.58	61.16	+13.58
8	साक्षरता का लैंगिक अंतर (प्रतिशत बिन्दु)	28.07	20.27	-7.80

स्रोत : भारत की जनगणना 2001 एवं 2011, जिला रीवा (अविभाजित)। परिवर्तन की गणना शोधार्थी द्वारा।

आरेख 2 : रीवा जनपद में साक्षरता दर (2001 एवं 2011)



सारणी 2 एवं आरेख 2 से स्पष्ट है कि 2001 से 2011 के मध्य रीवा जनपद की जनसंख्या 19,73,306 से बढ़कर 23,65,106 हो गई, अर्थात् जनसंख्या में 19.86 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई तथा जनसंख्या घनत्व 313 से बढ़कर 375 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। जनसंख्या का यह दबाव ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के विभाजन, जोतों के छोटे होने तथा रोजगार हेतु प्रवास का एक प्रमुख कारण है, जिसने संयुक्त परिवारों के विघटन को भी गति दी है।

शैक्षणिक आयाम में इस दशक के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। कुल साक्षरता दर 62.01 प्रतिशत से बढ़कर 71.62 प्रतिशत हो गई। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन महिला साक्षरता में हुआ, जो 47.58 प्रतिशत से बढ़कर 61.16 प्रतिशत हो गई, अर्थात् इसमें 13.58 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि हुई, जबकि पुरुष साक्षरता में यह वृद्धि 5.78 प्रतिशत बिन्दु रही। परिणामस्वरूप साक्षरता का लैंगिक अंतर 28.07 से घटकर 20.27 प्रतिशत बिन्दु रह गया। वर्ष 2011 में रीवा जनपद की साक्षरता दर (71.62 प्रतिशत) मध्यप्रदेश की औसत साक्षरता दर (69.32 प्रतिशत) से अधिक, किन्तु राष्ट्रीय औसत (74.04 प्रतिशत) से कम थी। महिला शिक्षा में यह प्रगति ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति, विवाह की आयु, पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका तथा पंचायतों में उनकी प्रभावी सहभागिता के लिए आधार तैयार करती है।

किन्तु लैंगिक आयाम में एक चिंताजनक प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। जनपद का लिंगानुपात 941 से घटकर 931 तथा शिशु लिंगानुपात 926 से घटकर 885 हो गया। शिशु लिंगानुपात में 41 अंकों की यह तीव्र गिरावट दर्शाती है कि शिक्षा के प्रसार के बावजूद ग्रामीण समाज में पुत्र वरीयता की मानसिकता बनी हुई है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि ग्रामीण समाज में परिवर्तन बहुआयामी किन्तु असमान है, जहाँ शिक्षा जैसे आयामों में प्रगति के साथ-साथ परंपरागत पितृसत्तात्मक मूल्य भी सक्रिय हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का अंश 16.22 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति का अंश 13.19 प्रतिशत था, जो पंचायतों में इन वर्गों के आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व के महत्व को स्पष्ट करता है।

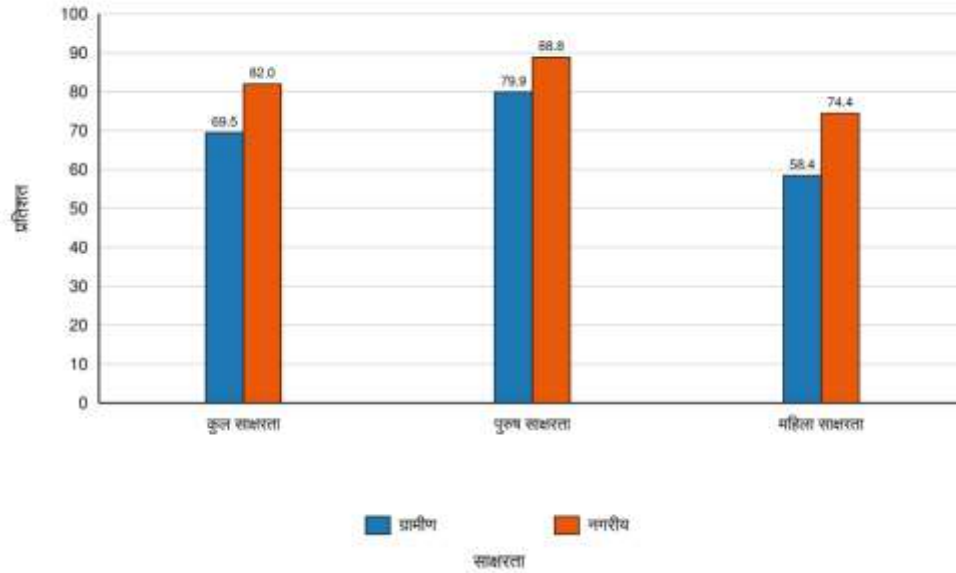
ग्रामीण एवं नगरीय समाज का अंतर

सारणी क्रमांक 3 : रीवा जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय समाज के प्रमुख संकेतक (2011)

क्र.	संकेतक	ग्रामीण	नगरीय	अंतर
1	जनसंख्या	19,69,321	3,95,785	–
2	कुल जनसंख्या में अंश (प्रतिशत)	83.27	16.73	–
3	लिंगानुपात	935	910	25
4	शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	887	872	15
5	कुल साक्षरता दर (प्रतिशत)	69.46	81.95	12.49
6	पुरुष साक्षरता दर (प्रतिशत)	79.86	88.84	8.98
7	महिला साक्षरता दर (प्रतिशत)	58.44	74.42	15.98

स्रोत : भारत की जनगणना 2011, जिला रीवा (अविभाजित)।

आरेख 3 : रीवा जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता दर (2011)



सारणी 3 एवं आरेख 3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 में रीवा जनपद की 83.27 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी, जो राष्ट्रीय औसत (68.8 प्रतिशत) से काफी अधिक है। यह जनपद की ग्रामीण प्रकृति तथा पंचायतीराज संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर (69.46 प्रतिशत) नगरीय क्षेत्रों (81.95 प्रतिशत) से 12.49 प्रतिशत बिन्दु कम है। यह अंतर महिलाओं में सर्वाधिक (15.98 प्रतिशत बिन्दु) है, क्योंकि ग्रामीण महिला साक्षरता दर केवल 58.44 प्रतिशत है। इस प्रकार ग्रामीण महिला शैक्षणिक दृष्टि से सर्वाधिक वंचित वर्ग है। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात (935) एवं शिशु लिंगानुपात (887) नगरीय क्षेत्रों से कुछ अधिक है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिशु लिंगानुपात का 900 से नीचे होना यह दर्शाता है कि लिंग आधारित भेदभाव की समस्या नगरों तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायतें, जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी तथा जन्म पंजीयन का दायित्व निभाती हैं, इन असमानताओं को कम करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

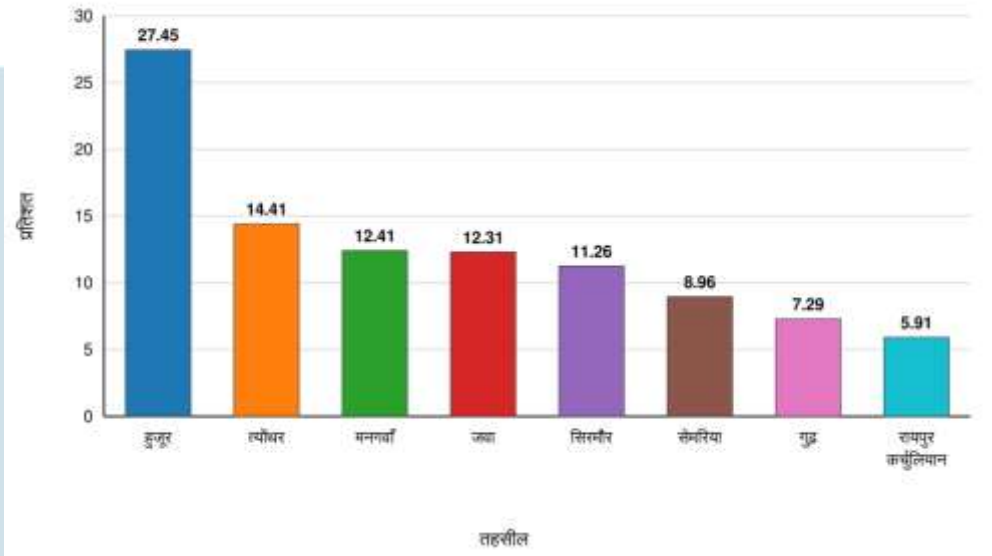
वर्तमान रीवा जिले की तहसीलवार जनसंख्या

सारणी क्रमांक 4 : वर्तमान रीवा जिले में सम्मिलित तहसीलों की जनसंख्या (2011)

क्र.	तहसील	जनसंख्या (2011)	वर्तमान जिले की जनसंख्या में अंश (प्रतिशत)
1	हुजूर	4,79,663	27.45
2	त्यौंथर	2,51,853	14.41
3	मनगवाँ	2,16,926	12.41
4	जवा	2,15,071	12.31
5	सिरमौर	1,96,736	11.26
6	सेमरिया	1,56,554	8.96
7	गुढ़	1,27,323	7.29
8	रायपुर कर्चुलियान	1,03,346	5.91
	योग	17,47,472	100.00

स्रोत : भारत की जनगणना 2011 के तहसीलवार आँकड़ों के आधार पर।

आरेख 4 : वर्तमान रीवा जिले की तहसीलवार जनसंख्या का अंश (2011)



सारणी 4 एवं आरेख 4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2023 में मऊगंज जिले के गठन के पश्चात् वर्तमान रीवा जिले में सम्मिलित आठ तहसीलों की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 17,47,472 थी, जो अविभाजित जिले की जनसंख्या का 73.89 प्रतिशत है। शेष 26.11 प्रतिशत जनसंख्या (6,17,634) हनुमना, मऊगंज एवं नईगढ़ी तहसीलों की थी, जो अब मऊगंज जिले का भाग हैं। वर्तमान जिले में हुजूर तहसील की जनसंख्या सर्वाधिक (27.45 प्रतिशत) है, जिसमें रीवा नगर एवं उसके आसपास के नगरोन्मुख ग्राम सम्मिलित हैं। इसके पश्चात् त्योंथर (14.41 प्रतिशत), मनगवाँ (12.41 प्रतिशत), जवा (12.31 प्रतिशत) तथा सिरमौर (11.26 प्रतिशत) का स्थान है। हुजूर तहसील को छोड़कर शेष सभी तहसीलें मुख्यतः ग्रामीण हैं, अतः वर्तमान रीवा जिले के अधिकांश निवासियों के लिए ग्राम पंचायत ही शासन एवं विकास की सबसे निकटतम संस्था है।

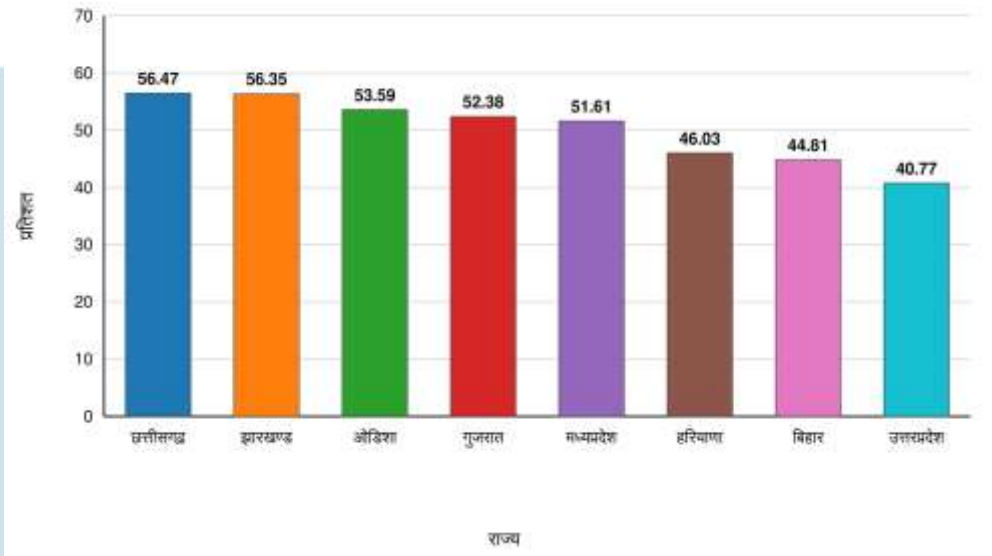
पंचायतीराज के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व

सारणी क्रमांक 5 : चयनित राज्यों की पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि

क्र.	राज्य	कुल निर्वाचित प्रतिनिधि	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत
1	छत्तीसगढ़	1,74,926	98,787	56.47
2	झारखण्ड	56,808	32,014	56.35
3	ओडिशा	1,06,353	57,001	53.59
4	गुजरात	1,03,397	54,164	52.38
5	मध्यप्रदेश	3,95,553	2,04,131	51.61
6	हरियाणा	71,455	32,892	46.03
7	बिहार	2,47,658	1,10,964	44.81
8	उत्तरप्रदेश	6,77,382	2,76,181	40.77

स्रोत : पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार

आरेख 5 : पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत



सारणी 5 एवं आरेख 5 से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश की पंचायतों में कुल 3,95,553 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 2,04,131 (51.61 प्रतिशत) महिलाएँ हैं। यह संख्या उत्तरप्रदेश के पश्चात् चयनित राज्यों में दूसरी सर्वाधिक है तथा अनुपात की दृष्टि से मध्यप्रदेश उन राज्यों में सम्मिलित है, जहाँ आधे से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं। इसके विपरीत उत्तरप्रदेश (40.77 प्रतिशत), बिहार (44.81 प्रतिशत) एवं हरियाणा (46.03 प्रतिशत) में यह अनुपात पचास प्रतिशत से कम है। मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान ने ग्रामीण समाज की परंपरागत पुरुष प्रधान सत्ता संरचना में महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। रीवा जैसे जनपद में, जहाँ सामंती एवं पितृसत्तात्मक परंपराएँ गहरी रही हैं, लाखों ग्रामीण महिलाओं का पंच, सरपंच एवं सदस्य के रूप में निर्वाचित होना ग्रामीण समाज के राजनीतिक आयाम में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है।

तथापि विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि संख्यात्मक प्रतिनिधित्व का अर्थ सदैव वास्तविक सशक्तिकरण नहीं होता। अनेक स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति अथवा परिजन निर्णय लेते हैं (पंचायतीराज मंत्रालय, 2008)। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान के अध्ययनों में पाया गया है कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतों में पेयजल जैसी सुविधाओं पर अधिक निवेश होता है (चट्टोपाध्याय एवं डुफ्लो,

2004)। सारणी 2 में दर्शाई गई महिला साक्षरता की तीव्र वृद्धि यह आशा जगाती है कि भविष्य में शिक्षित महिला प्रतिनिधि अधिक स्वतंत्र एवं प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।

ग्रामीण समाज के बदलते आयामों में पंचायतीराज की भूमिका

द्वितीयक आँकड़ों एवं प्रकाशित साहित्य के विश्लेषण से रीवा जनपद के ग्रामीण समाज के बदलते आयामों में पंचायतीराज की भूमिका को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। राजनीतिक आयाम में पंचायतीराज ने ग्रामीण सत्ता संरचना का सामाजिक आधार व्यापक किया है। आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को निर्णय-निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी मिली है, जिससे परंपरागत प्रभावशाली परिवारों एवं जातियों का एकाधिकार कमजोर हुआ है। यद्यपि अनेक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि कमजोर वर्गों के प्रतिनिधियों को प्रभावशाली वर्गों के दबाव का सामना करना पड़ता है (बविस्कर एवं मैथ्यू, 2009)।

आर्थिक एवं विकासात्मक आयाम में ग्राम पंचायतें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन तथा राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रमुख इकाई बन गई हैं। इन योजनाओं ने ग्रामीण आवास, स्वच्छता, पेयजल एवं संपर्क के क्षेत्र में दृष्टिगोचर परिवर्तन किया है। सामाजिक आयाम में ग्राम पंचायतें विवाद निपटारे एवं सामाजिक नियंत्रण की वैधानिक संस्था के रूप में जाति पंचायतों का स्थान ले रही हैं। किन्तु सारणी 2 एवं 3 के आँकड़े यह संकेत करते हैं कि ग्रामीण महिला साक्षरता एवं शिशु लिंगानुपात जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार हेतु पंचायतों को अपनी भूमिका को अधोसंरचना निर्माण से आगे बढ़ाकर सामाजिक विकास की ओर विस्तारित करना होगा।

लोकतांत्रिक आयाम में ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है। मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज के माध्यम से ग्राम सभा को सशक्त बनाने का प्रयास हुआ, किन्तु अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ग्रामीण समाज की असमानताओं एवं जागरूकता के अभाव के कारण ग्राम सभाएँ प्रायः प्रभावशाली वर्गों के नियंत्रण में रहती हैं (बेहार, 2003)। ग्राम सभा में सहभागिता शिक्षा, भूमि स्वामित्व एवं जाति से प्रभावित होती है (बेस्ले, पाण्डे एवं राव, 2005)। इस प्रकार पंचायतीराज ने ग्रामीण समाज में प्रतिनिधिक लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है, किन्तु सहभागी लोकतंत्र की स्थापना अभी अधूरी है।

निष्कर्ष

द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि रीवा जनपद का ग्रामीण समाज जनांकिकीय, शैक्षणिक, लैंगिक एवं राजनीतिक, सभी आयामों में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात निरंतर घट रहा है, किन्तु रीवा जनपद की 83.27 प्रतिशत जनसंख्या आज भी ग्रामीण है। 2001 से 2011 के मध्य जनपद की साक्षरता दर में 9.61 प्रतिशत बिन्दु तथा महिला साक्षरता में 13.58 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि हुई तथा साक्षरता का लैंगिक अंतर घटा, जो ग्रामीण समाज के शैक्षणिक आयाम में सकारात्मक परिवर्तन है। इसके विपरीत शिशु लिंगानुपात का 926 से घटकर 885 होना पुत्र वरीयता की गहरी जड़ों का संकेत है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के मध्य, विशेषकर महिला साक्षरता में, उल्लेखनीय अंतर विद्यमान है। वर्तमान रीवा जिले में हुजूर तहसील को छोड़कर शेष सभी तहसीलें मुख्यतः ग्रामीण हैं।

पंचायतीराज ने ग्रामीण समाज के राजनीतिक आयाम में सर्वाधिक प्रभावशाली परिवर्तन किया है, जिसका प्रमाण मध्यप्रदेश की पंचायतों में 51.61 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व है। पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रमुख इकाई बन गई हैं तथा उन्होंने ग्रामीण अधोसंरचना एवं कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच का विस्तार किया है। किन्तु प्रॉक्सी नेतृत्व, ग्राम सभा की निष्क्रियता तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में पंचायतों की सीमित भूमिका यह दर्शाती है कि पंचायतीराज को ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन का पूर्ण रूप से प्रभावी माध्यम बनाने हेतु अभी और प्रयास आवश्यक हैं।

सुझाव

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं। प्रथम, शिशु लिंगानुपात में गिरावट को रोकने हेतु ग्राम पंचायतों को जन्म पंजीयन, आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से बालिका जन्म की निगरानी तथा “बेटी बचाओ” संबंधी जागरूकता अभियान का केन्द्र बनाया जाए तथा लाइली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से पात्र परिवारों को जोड़ने में पंचायतों की भूमिका सुदृढ़ की जाए। द्वितीय, ग्रामीण महिला साक्षरता बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति को सक्रिय कर बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन एवं निरंतरता की निगरानी की जाए तथा प्रौढ़ महिला साक्षरता कार्यक्रमों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जाए।

तृतीय, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए नियमित एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण, बैठकों में उनकी स्वयं उपस्थिति की अनिवार्यता तथा प्रॉक्सी नेतृत्व पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की जाए। चतुर्थ, ग्राम सभा को सशक्त बनाने हेतु बैठकों की व्यापक पूर्व सूचना, महिला सभा का आयोजन तथा ग्राम सभा के निर्णयों का सार्वजनिक प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। पंचम, ग्रामीण एवं नगरीय अंतर को कम करने हेतु ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास को अधोसंरचना के समान प्राथमिकता दी जाए। षष्ठम, वर्ष 2023 के पुनर्गठन के पश्चात् वर्तमान रीवा जिले के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय अद्यतन सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन किया जाए, ताकि नियोजन एवं शोध के लिए विश्वसनीय आधार उपलब्ध हो सके। सप्तम, आगामी जनगणना के आँकड़े उपलब्ध होने पर इस अध्ययन को अद्यतन कर ग्रामीण परिवर्तन की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007). छठा प्रतिवेदन : स्थानीय शासन. भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. पंचायतीराज मंत्रालय (2008). निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर अध्ययन (स्टडी ऑन इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स). भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. पंचायतीराज मंत्रालय (2025). लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4218 का उत्तर : राज्यवार निर्वाचित प्रतिनिधि एवं निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, दिनांक 19 अगस्त 2025. भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार (1993). भारत का संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992. भारत का राजपत्र, असाधारण, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार (2013). जनगणना 2011 : प्राथमिक जनगणना सार. महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।
6. भारत सरकार (2014). जनगणना 2011 : जिला जनगणना पुस्तिका, रीवा. जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. मध्यप्रदेश शासन. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित). पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
8. Baviskar, B. S. & Mathew, G. (Eds.) (2009). Inclusion and Exclusion in Local Governance: Field Studies from Rural India. Sage Publications, New Delhi.

9. Behar, A. (2003). Madhya Pradesh: Gram Swaraj: Experiment in Direct Democracy. Economic and Political Weekly, 38(10).
10. Behar, A. & Kumar, Y. (2002). Decentralisation in Madhya Pradesh, India: From Panchayati Raj to Gram Swaraj (1995 to 2001). Working Paper 170, Overseas Development Institute, London.

